जनपद–सोनभद्र मे मे0 कनौरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट को पम्प हाउस पाईप लाईन एवं ओवर हेड द्रांसमिशन लाईन हेतु 3.79 हे0 वन भूमि का 25 वर्षो हेतु लीज पर नवीनीकरण के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी आदेश में अधिरोपित शर्तो की बिन्दुवार अनुपालन आख्या ।

भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय(मध्य क्षेत्र) सेक्टर के अलीगंज लखनऊ के पत्र संख्या 08बी / 09 / 324 / 92 / एफ0सी0–407 दिनांक– 23.05.1995 में अधिरोपित शर्त संख्या	भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय(मध्य क्षेत्र) सेक्टर के अलीगंज लखनऊ के पत्र संख्या 08बी / 09 / 324 / 92 / एफ0सी0–407 दिनांक– 23.05.1995 में अधिरोपित शर्तो में अंकित विवरण	अनुपालन आख्या
1	2	3
01	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा ।	इस शर्त के अनुपालन में वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही किया गया है ।
02	लीज की अवधि 31.3.2013 तक होगी	इस शर्त के अनुपालन में लीज की अवधि दिनांक– 31.03.2013 तक रही है ।
03	वन भूमि का प्रयोग सिर्फ उपरोक्त प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य किसी कार्य हेतु नही । यदि यह पाया गया कि वन भूमि का प्रयोग किसी अन्य प्रयोजन हेतु किया जा रहा है तो स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी एवं वन भूमि वन विभाग को वापस हो जायेगी ।	इस शर्त के अनुपालन में वन भूमि का उपयोग सिर्फ प्रश्नगत प्रयोजन हेतु ही किया गया है और वर्तमान में भी किया जा रहा है ।
04	वन विभाग द्वारा याचक विभाग के व्यय पर समतुल्य गैर वानिकी भूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा ।	इस शर्त के अनुपालन में याचक विभाग के व्यय पर समतुल्य गैर वानिकी भूमि में क्षतिपूरक वनीकरण कार्य किया गया है ।
05	उक्त गैर वानिकी भूमि को संरक्षित वन धोषित किया जायेगा ।	इस शर्त के अनुपालन में संस्थान द्वारा वन विभाग को उपलब्ध करायी गयी गैर वन भूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा–4 के अन्तर्गत विज्ञप्ति जारी किया गया है ।

For Grasim Industries Limited
(Chemical Division Renukoot)

S. N. Sastry
Authorized Signatory

(मनमोहन मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रेणुकूट वन प्रभाग, रेणुकूट-सोनभद्र

(एस0एन0शास्त्री)
यूनिट हेड
मे0 गासीम इण्डस्ट्रीज लि0
रेनुकूट–सोनभद्र

क्षेत्रीय वनाधिकारी
पिपरी रेंज
रेणुकूट वन प्रभाग, रेणुकूट, सोनभद्र

For Grasim Industries Limited
(Chemical Division Renukoot)

S. N. Sastry
Authorized Signatory

जनपद–सोनभद्र मे मे0 कनौरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट को पम्प हाउस पाईप लाईन एवं ओवर हेड ट्रांसमिशन लाईन हेतु 3.79 हे0 वन भूमि का 25 वर्षो हेतु लीज पर नवीनीकरण के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आदेश में अधिरोपित शर्तो की बिन्दुवार अनुपालन आख्या ।

उत्तर प्रदेश सरकार, के पत्र संख्या– जी0आई0 159/14–2–95–503/1961 वन अनुभाग–2 लखनऊ दिनांक– 16. 01.1996 में अधिरोपित शर्त संख्या	उत्तर प्रदेश सरकार, के पत्र संख्या– जी0आई0 159/14–2–95–503/1961 वन अनुभाग–2 लखनऊ दिनांक– 16.01. 1996 में अधिरोपित शर्तो का विवरण	अनुपालन आख्या
1	2	3
01	उक्त संस्था का भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही करेगा तथा वह उक्त भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं करेगा।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत वन भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया गया है और वर्तमान में भी किया जा रहा है । वन भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग संस्था अथवा व्यक्तियो को हस्तान्तरित नही किया गया है
02	संस्था के अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुँचायेगें और यदि उक्त व्यक्तियों द्वारा कोई क्षति पहुँचती है अथवा पहुँचायी जाती है तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के द्वारा तदर्थ निर्धारित प्रतिकर जो अन्तिम निश्चायक तथा उक्त संस्था पर बाध्यकारी होगा, संस्था द्वारा देय होगा।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत करना है कि संस्था के अन्तर्गत कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियो के अधीन या उनसे संबंधित व्यक्तियो द्वारा वन सम्पदा की कोई क्षति नही पहुँचायी गयी है ।
03	उक्त भूमि संस्था के उपयोग में तब तक बनी रहेगी, जब तक कि संस्था को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता बनी रहेगी। यदि संस्था को उक्त भमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथा स्थिति उक्त भूमि अथवा उक्त भूमि का ऐसा भाग जो संस्था के लिए आवश्यक न रहे, वन विभाग, उ0प्र0 सरकार को बिना किसी प्रतिकर के भुगतान के वापस हो जायेगी।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत करना है कि प्रश्नगत वन भूमि की संस्था को आवश्यकता न रहने पर वन विभाग को वापस कर दिया जायेगा ।
04	वन विभाग तथा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें, प्रश्नगत भूखण्ड पर प्रवेश करने व उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि वन विभाग तथा उसके अभिकर्ताओ द्वारा आवश्यकतानुसार प्रश्नगत भूखण्ड पर प्रवेश व निरीक्षण किया जाता है ।
05	कथित भूमि लीज के नवीनीकरण के बाद भी आरक्षित वनभूमि बनी रहेगी	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि कथित भूमि लीज के नवीनीकरण के बाद भी आरक्षित वन भूमि

(मनमोहन मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रेणुकूट वन प्रभाग, रेणुकूट-सोनभद्र

क्षेत्रीय वनाधिकारी
पिपरी रेंज
रेणुकूट वन प्रभाग, रेणुकूट, सोनभद्र

For Grasim Industries Limited
(Chemical Division Renukoot)
S. N. Sastry

	तथा उसके वर्तमान वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	बनी हुची है तथा उसके वर्तमान वैधानिक स्थिति मे कोई परिवर्तन नही किया गया है ।
06	याचक इकाई के व्यय पर समतुल्य गैर वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण करवाया जायेगा एवं भूमि हस्तान्तातरण से पूर्व चिन्हित गैर वन भूमि को संरक्षित वन धोषित करना होगा ।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि याचक ईकाई के व्यय पर वन विभाग द्वारा समतुल्य गैर वन भूमि पर वृक्षरोपण करवाया गया है और वन विभाग द्वारा समतुल्य गैर वन भूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा–4 के अन्तर्गत विज्ञप्ति जारी कराया गया है ।
07	वन क्षेत्र में परियोजना में कार्य करने वाले मजदूर तथा कर्मचारी अपनी ईधन की आवश्यकता के लिए वनो को हानि न पहुँचाये, इसके लिए उक्त संस्था ईधन की लकड़ी नि:शुल्क उपलब्ध करायेगी या ईधन की लकड़ी की कीमत उनके वेतन या मजदूरी में से काट ली जायेगी ।	इस बिन्दु का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया गया है ।
08	वन भूमि पर खड़े वृक्षो का निस्तारण यदि कोई हो, तो उ0प्र0 वन निगम द्वारा करवाया जायेगा । यदि किसी कारणवश संस्था को खडे वृक्ष सौंपे जाते है तो उसका संबंधित वन संरक्षक द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य पर भुगतान उक्त संस्था से प्रापत किया जायेगा ।	इस बिन्दु का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया गया है ।
09	वन भूमि हस्तान्तरण के पूर्व भूमि का मूल्य वर्तमान बाजार दर पर जिलाधिकारी सोनभद्र से निश्चित कराकर मूल्य के बराबर प्रीमियम तथा प्रीमियम का 10 प्रतिशत लीज रेंट वन विभाग द्वारा वसूल कर लिया जायेगा ।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत वन भूमि का जिलाधिकारी सोनभद्र से मूल्य निश्चित कराते हुए प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निम्नानुसार प्रीमियम एवं लीज रेंट की धनराशि जमा किया गया है :– (see table below)

प्रीमियम की धनराशि (रू0मे)	लीज रेंट की धनराशि (रू0मे)	अभ्युक्ति
1,68,460–00	16847.00	प्रीयियम की धनराशि एक मुश्त दिनांक–12.04.1996 को तथा लीज रेंट की धनराशि वर्ष वर्ष 1988–89 से 2012–13 तक जमा किया गया है ।
94,75,000–00	9,47,500.00	प्रीयियम की धनराशि एक मुश्त दिनांक–08.06.2016 को तथा लीज रेंट की धनराशि वर्ष 2013–14 से 2022–23 तक जमा किया गया है ।

(मनमोहन मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रेणुकूट वन प्रभाग, रेणुकूट-सोनभद्र

क्षेत्रीय वनाधिकारी
पिपरी रेंज
रेणुकूट वन प्रभाग, रेणुकूट, सोनभद्र

(एस0एन0शास्त्री)
यूनिट हेड
मे0 गासीम इण्डस्ट्रीज लि0
रेणुकूट, सोनभद्र

For Grasim Industries Limited
(Chemical Division Renukoot)
S. N. Sastry
Authorized Signatory